न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

प्रकरण संख्या 4153/2015 (2016/00205)

रामचंद्र पुत्र रघुनाथ जाति जाट निवासी काबरिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर —वादी

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकडी तहसील केकड़ी जिला अजमेर
2.प्रहलाद पुत्र लादू जाति जाट निवासी काबरिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर —**प्रतिवादीगण**

वादपत्र अंतर्गत धारा —188,209 राजस्थान टिनेसी एक्ट
सपठित धारा —136 एल0 आर0 एक्ट

उपरिथत:— श्री नोरत मल सॉखला —वकील वादी
श्री सिद्धार्थ सिंह —वकील प्रतिवादी
पैरोकार सरकार— तहसीलदार केकड़ी

निर्णय

दिनांक 6.5.21

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम काबरिया की निम्नवर्णित आराजीयात जमाबंदी संवत् 2024—2027 मे दर्ज है जो वादी की खरीदशुदा व कब्जे काश्त की आराजीयात है —

खाता संख्या	खसरा नंबर	रकबा (बीघा)	किस्म
45	61/2	1.15.00	माल अव्वल
	58/2	48.17.10	मल अव्वल
	58/1	12.'15.00	बरानी
	63/1	07.04.10	मला
	75	07.09.10	माल 1
	133	01.16.00	माल 1
	143/2	01.15.00	माल 1
	144/2	03.16.00	माल 1
	145/1	04.05.00	माल 1
	किता 09	89.15.00	

जमाबंदी संवत् 2041

खाता संख्या	खसरा नंबर	रकबा (बीघा)	किस्म
60	63/1	07.04.10	बा0 1
	75	07.09.10	गौर
	133	01.16.00	माल
	143/2	01.17.00	माल
	144/2	03.16.00	माल 1
	145/1	04.05.00	माल 1
	कुल किता 06	26.08.00	

जमाबंदी संवत् 2067

खाता संख्या नया-पुराना	खसरा नंबर	रकबा (है0)	किस्म
44—45	103	1.06	चाही
	115	0.07	चाही
	116	[illegible]	बारानी उत्तम
	166	1.21	बारानी उत्तम
	404	1.61	बारानी उत्तम
	409	0.29	बारानी उत्तम
	कुल किता 06	4.28 है0	

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.21 14:23:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

(2) न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी

प्रकरण संख्या 4153/2015(2016/00205)

रामचंद्र जाट बनाम राजस्थान सरकार व अन्य

अंतर्गत धारा 188,209आर0टी0ए0 व सपटित धारा

136 राज0लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

निर्णय दिनांक 6.5.21

वादवर्णित आराजी जमाबंदी संवत् 2024–27 मे वर्णित आराजीयात वादी की खातेदारी की व कब्जे काश्तकारी की आराजीयात रही है। तथा जमाबंदी संवत् 2041 बिना किसी प्रकार से वादी द्वारा रिकार्ड स्थानांतरित किये व विधिक स्थानांतरण बेचान बक्षीस आदि के प्रतिवादी संख्या 02 के नाम रेकार्ड परिवर्तन कर किता 06 रकबा 26.08.00बीघा मे अमल बरामद प्रहलाद मुतबन्ना लादू जाट के नाम दर्ज कर दिया है जो गलत है। प्रतिवादी संख्या 02 वादी का जायन्दा पुत्र नहीं है बल्कि लादू का हैं तथा बिना विधिक स्थानांतरण के नाम अंकन नहीं हो सकता है व रिकार्ड मे गलत अंकन हो गया है जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित व उचित है। प्रतिवादी संख्या 02 लादू के गोद गया रिकोर्ड मे बताया गया है परन्तु वादी के नाम की आराजीयात मे प्रतिवादी संख्या 02 मे दर्ज किया जो गलत किया है क्योकि आराजीयात का एकमात्र खातेदार एवं विधिक अधिकार हक वादी का ही है जिसे पुनः दुरूस्त किया जावे। इसी अनुसार वर्तमान जमाबंदी संवत् 2067 मे प्रतिवादी संख्या 02 का नाम रिकार्ड हो गया है उसे पुनः दुरूस्त किया जाकर वादी के नाम रिकार्ड मे इन्द्राज दुरूस्त किया जावे। वादकारण दिनांक 01.12.2015 को उत्पन्न हुआ जब वादी ने तहसील कार्यालय से प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की। तब वादी को उक्त वादवर्णित आराजीयात गलत रूप से इन्द्राज होंने की जानकारी हुई, तथा अब दिनो दिन उत्पन्न हो रहा है। प्रतिवादी संख्या 02 ने दिनांक 16.11.2015 को वादी के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग व आधिपत्य मे बाधा उत्पन्न की। वादकारण दिनोदिन उत्पन्न हो रहा है। अपनी आराजीयात मे जीरा सरसो मैथी पानी पिलाने गया तो कब्जे काश्त व खेत पर आने जाने का विरोध किया तब उत्पन्न हुआ अब दिन प्रतिदिन उत्पन्न हो रहा है। अतः डिकरी जारी करने की प्रार्थना की कि वादी को वादपत्र मे वर्णित पैरा संख्या 01 की आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादी का नाम राजस्व रेकार्ड मे अंकन किया जावे। प्रतिवादी संख्या 02 प्रहलाद का नाम राजस्व रेकार्ड से विलोपित किया जाने का आदेश प्रदान कर राजस्व रेकार्ड दुरूस्त किया जावे। प्रतिवादी संख्या 02 को सदैव के लिए पाबंद किया जावे कि वादवर्णित आराजीयात मे वादी के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग मे बाधा डालने से रोका जावे। व ऐसा कोई कार्य करने से रोका जावे जिससे वादी आराजीयात से बेदखल नहीं होवे। प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का जवाब पेश हुआ। प्रतिवादी संख्या 01 पैरोकार सरकार ने जवाब मे बताया कि जमाबंदी संवत् 2041 के खाता संख्या 59 मे वादी के कुल किता 09 रकबा 89.15.10 बीघा के स्थान पर किता 03 रकबा 63.07.10बीघा का अलग खाता कायम कर दिया गया तथा कैफियत मे आदेश मुंकदमा नंबर 93/72 एस0डी0ओ0 डिकरी से भू.सं.नोट से का अंकन किया हुआ है। शेष किता 06 रकबा 26.08.00बीघा का अलग खाता संख्या 60 कायम किया गया जिसमे प्रहलाद मु0 लादू जाति जाट साकिन देह खातेदार राहिन सहकारी भूमि विकास बैक लिमिटेड केकड़ी मुर्तहीन के नाम से दर्ज है। एवं कैफियत मे भू.स.नोट से अंकन कर रखा है अतः भू स.एवं आपके कार्यालय के मु0नं.93/72 न्यायालय डिकरी का अवलोकन किया जाना उचित है। बाद के रेकार्ड मे अलग अलग खाते ही दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 02 ने अपने जवाब मे बताया कि, जमाबंदी संवत् 2041 के खाता संख्या 60 कुल खसरा 06 रकबा 26.08.00बीघा जमाबंदी संवत् 2067 की खाता संख्या 44 मे दर्ज आराजीयात कुल [illegible] रकबा 4.28 है0 वादी की खातेदारी की आराजी है जिसमे वादी ही काबिज [illegible] प्रतिवादी संख्या 02 ने दिनांक 16.11. 2015 को कभी भी खेत पर आने जाने का विरोध नहीं [illegible] है। वादी को वाद प्रस्तुत करने का कारण कभी भी उत्पन्न नही हुआ है। प्रतिवादी संख्या 02 वादी का जायन्दा पुत्र है जिसे वादी ने बाल अवस्था मे वादी ने स्वयं लादू के गोद दे दिया। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 02 वादी का जायन्दा पुत्र है व एक ही परिवार के सदस्य है। वादी ने वृद्धावस्था होने से किसी के बहकावे व उकसावे मे आकर प्रतिवादी संख्या 02 के विरूद्ध यह वाद पेश किया है। जो खारिज होने योग्य है। वादी ने पूर्व मे भी प्रतिवादी संख्या 02 के विरूद्ध माननीय न्यायालय हाजा मे राजस्व वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.21 14:23:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी
प्रकरण संख्या 4153/2015(2016/00205)
रामचंद्र जाट बनाम राजस्थान सरकार व अन्य
अंतर्गत धारा 188,209आर0टी0ए0 व सपटित धारा
136 राज0लैण्ड रेवेन्यु एक्ट
निर्णय दिनांक 6.5.2021

संख्या 84/2003 ,राजस्व वाद संख्या 201/2009 तथा इजराय 2009 मे पेश किये थे जो माननीय न्यायालय मे रेसज्युरीकेटा के तहत खारिज किये गये है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत यह वाद रेसज्युरीकेटा के तहत खारिज किया जावे। जवाब प्रस्तुत होने पर विवाद्यको की विरंचना निम्न प्रकार की गई है:–

1.आया वाद पत्र मे वर्णित आराजीयात वादी की खातेदारी होने से प्रतिवादीगण को जरिये स्थयी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का हक रखता है। —वादी

2.आया वादी के नाम की आराजीयात मे प्रतिवादी संख्या 02 की खातेदारी हक संवत् 2041 मे दर्ज किया उसे दुरूस्त किये जाने का हक रखता है —वादी

3.आया प्रतिवादी संवत् 2041 की जमाबंदी के अनुसार खातेदार है। जो सही है तथा वादी का इस आराजी से कोई लेना देना नहीं है। अतः उनका दावा खारिज किये जाने योग्य है –प्रतिवादी

4.आया वादी का वाद माननीय न्यायालय के वाद संख्या 84/2003 तथा 201/2009 तथा इजराय संख्या 2009 के अनुसार रेसज्युरीकेटा के अनुसार खारिज किये थे। यह प्रकरण भी रेसज्युरीकेटा के अनुसार खारिज किये जाने योग्य है। —प्रतिवादी

5.दादरसी

वादी ने शपथ पत्र पी0ड्बल्यु 01 पेश कर स्वयं को परीक्षित करवाया,अपने कथन के समर्थन मे दस्तावेजात प्रदर्श 1 जमाबंदी ग्राम काबरिया संवत् 2071–74,ईएक्सपी.2 मिलान क्षैत्रफल ,ईएक्सपी.3 जमाबंदी काबरिया संवत् 2024–26,ईएक्सपी.4 जमाबदी 2055,ईएक्सपी 5 निर्वाचक नामावली 2018 भाग संख्या 175 अनुभाग संख्या 05 काबरिया पेश कर निवेदन किया कि मेरा दावा डिकी किया जावे। वादी से प्रतिवादी वकील द्वारा जिरह की गई। प्रतिवादी प्रहलाद पुत्र रामचंद्र दत्तक पुत्र लादू जाति जाट निवासी काबरिया ने जिरह डी0ड्बल्यु 01प्रस्तुत कर स्वयं को परीक्षित करवाया अपने कथन के समर्थन मे दस्तावेजात ईएक्सडी01 आदेशिका,ईएक्सडी02 निर्णय दिनांक 30.05.2011 तथा अन्य दस्तावेजात विभिन्न मुकदमो का निर्णय ,आदेशिका की छाया प्रतियां पेश की। प्रतिवादी संख्या 02 से जिरह वादी वकील द्वारा की गई। वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई।

वादी के लायक वकील श्री नोरत मल सांखला ने अपनी बहस प्रारंभ करते हुए कथन किया कि जमाबंदी संवत् 2024 सं 2027 के अनुसार खाता संख्या 45 किता 09 रकबा 89.15.00बीघा रामचंद्र वल्द रूघनाथ के नाम दर्ज है। जो ईएक्सपी.3 के रूप मे संलग्न पत्रावली है। इसमे से जमाबंदी संवत् 2041 के खाता संख्या 60 मे कुल किता 06 रकबा 26.08. 00बीघा प्रहलाद पुत्र मु0 लादू के नाम दर्ज है जो ईएक्सपी.4 के रूप मे संलग्न पत्रावली है। अतः प्रहलाद पुत्र मु0 लादू के नाम गलत दर्ज हुई है। वादपत्र मे वर्णित आराजीयात का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादी का नाम राजस्व रेकार्ड मे अंकन किया जावे प्रतिवादी संख्या 02 प्रहलाद का नाम विलोपित किया जाने का आदेश प्रदान कर राजस्व रेकार्ड दुरूस्त किया जावे। प्रतिवादी संख्या 02 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा सदैव के लिए पाबंद किया जावे कि वादवर्णित आराजीयात मे वादी के कब्जे काश्त उपभोग मे बाधा डालने से रोका जावे व ऐसा कोई कार्य करने से रोका जावे जिससे वादी आराजीयात से बेदखल नहीं होवे। प्रतिवादी संख्या 02 वादी का जायन्दा पुत्र नहीं है। वादी ने अपनी जिरह मे भी कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 02 प्रहलाद मेरा जायन्दा पुत्र नहीं है। उसके नाम गलत दर्ज हुई है। अन्य प्रतिकर बहक वादी प्रतिवादीगण हो सादिर होवे।

प्रतिवादी संख्या 02 के लायक वकील श्री सिद्धार्थ सिंह ने वितर्क प्रस्तुत करते हुए बताया कि वादी के कथन का विरोध करते हुए निवेदन किया कि वादी का वाद खारिज किया जाने योग्य है क्योंकि प्रतिवादी संख्या 02 वादी का जायन्दा पुत्र है जिसे बचपन मे ही

उपखण्ड अधिकारी (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.21 14:23:57 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी
प्रकरण संख्या 4153/2015(2016/00205)
रामचंद्र जाट बनाम राजस्थान सरकार व अन्य
अंतर्गत धारा 188,209आर0टी0ए0 व सपठित धारा
136 राज0लैण्ड रेवेन्यु एक्ट
निर्णय दिनांक 6.4.2021

प्रतिवादी संख्या 02 के पिता वादी ने अपने भाई लादू के गोद दे दिया था। वादी व प्रतिवादी संख्या 02 मे पिता–पुत्र का रिश्ता हैं। इस संबध मे पूर्व मे भी इसी न्यायालय मे मुकदमा संख्या 93/72 श्रीमति दांखा पत्नि रघुनाथ जाट निवासी काबरिया बनाम रामचंद्र पुत्र रघुनाथ जाट व प्रहलाद दत्तक पुत्र लादू जरिये रामचंद्र अंतर्गत धारा 88,53,54 आर0टी0ए0 विचाराधीन होकर जरिये राजीनामा दिनांक 30.08.72 को निर्णय व डिकरी किया गया है। उसी के आधार पर नामा0 वादवर्णित आराजी इसी निर्णय व डिकरी से प्रतिवादी संख्या 02 के नाम अंकन हुआ है। जिसे इसी न्यायालय मे पुनः चुनौति नहीं दी जा सकती है। यह प्रकरण रेसज्युडिकेटा के तहत खारिज किये जाने योग्य है। वादी ने इसी न्यायालय मे प्रतिवादी संख्या 02 के विरूद्व प्रकरण संख्या 84/2003 रामचंद्र बनाम प्रहलाद वगैराह अंतर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दिनांक 23.11.2006 को खारिज किया गया है। न्यायालय ने अपने निर्णय मे बताया कि " वर्णित आराजीयात बाबत् पूर्व मे ही न्यायालय से हस्ब राजीनामा होकर वादग्रस्त भूमि का बंटवारा जरिये डिकरी आदेश से 1972 मे ही हो चुका था तथा 1972 से इस वाद के प्रस्तुत करने के पूर्व तक वादी ने 1972 के राजीनामा व डिकरी की कोई अपील या आपत्ति पेश नहीं की इसलिए वादी 35–36 वर्ष बाद 1972 के राजीनामा व डिकरी के इन्द्राज को दुरूस्त करवाने व खातेदार घोषित होने का अनुतोष इस वाद के माध्यम से प्राप्त करने का कोई भी हक नहीं रखता है। अतः वादी का दावा ग्राम काबरिया की वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 103,115,116,166,404,409 जिसका रकबा कमशः 1.05,0.07,0.05,1.21,1.61,0.29 है0 भूमि बाबत् खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना अपना वहन करे। डिकरी पर्चा जारी जारी हो " इसी तरह प्रकरण संख्या 201/2009 रामचंद्र बनाम प्रहलाद वगैराह भी दिनांक 30.05.2011 को आदेश 07 नियम 11 व 151 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर इस प्रकरण रेसज्युडिकेटा के तहत खारिज किया गया है। हस्तगत प्रकरण भी उसी आराजीयात से संबंधित होने के कारण व पक्षकारान भी समान होने के कारण रेसज्युडिकेटा के तहत खारिज होने के लिए समस्त परिस्थितियों इस वाद मे मौजूद होने से यह वाद काबिल खारिज है। वादी से प्रतिवादी संख्या 02 ने दिनांक 16.11.2015 को वादी के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग मे बाधा उत्पन्न नहीं की है इसलिए प्रतिवादी संख्या 02 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का वादी को हक अधिकार नहीं हैं।

पैरोकार सरकार तथा वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार से हैः–

तनकी नंबर 1:– वाद वर्णित आराजी वाकै ग्राम काबरिया मे स्थित है तथा जो संवत् 2024–27के खाता संख्या 45 रकबा 89.15.00बीघा वादी की खातेदारी मे दर्ज थी। जमाबंदी संवत् 2041 के अनुसार खाता संख्या 60 कुल किता 06 रकबा 26.08.00बीघा ,जमाबंदी संवत् 2067से खाता संख्या 44–49 कुल किता 06 रकबा 4.28 है0 प्रतिवादी संख्या 02 प्रहलाद मुत0 लादू के नाम के दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 02 खातेदार काश्तकार है जिसे स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का वादी हकदार नहीं है। वादी द्वारा स्वयं के अलावा अन्य कोई गवाह प्रस्तुत नहीं किया है जिससे विवाद साबित होता हो। अतः यह तनकी वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी नंबर 02:– संवत् 2041 मे जमाबंदी संवत् 2041 अनुसार खाता संख्या 60 कुल किता 06 रकबा 26.08.00बीघा प्रहलाद मुत0 लादू के नाम मुकदमा संख्या 93/72 की न्यायालय डिकरी दिनांक 30.08.72 के द्वारा किया गया है। उक्त राजीनामा व डिकरी की अन्य अपीलीय न्यायालय मे अपील या निर्णय संबंधी कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किये है। जिसके आधार पर वादी इस अंकन को दुरूस्त करवाने का हक रखता हो। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र 84/2003 तथा 201/2009 इजराय 2009जो रामचंद्र बनाम प्रहलाद उनवानी है जो माननीय न्यायालय ने खारिज किये है जिसकी भी कोई अपील वादी द्वारा करना नहीं पाया जाता है। अतः यह तनकी भी वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.21 14:23:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी
प्रकरण संख्या 4153/2015(2016/00205)
रामचंद्र जाट बनाम राजस्थान सरकार व अन्य
अंतर्गत धारा 188,209आर0टी0ए0 व सपटित धारा
136 राज0लैण्ड रेवेन्यु एक्ट
निर्णय दिनांक 6.5.21

तनकी नंबर 03 व 04 :– तनकी नंबर 03 व 04 का विवेचन एक साथ ही किया जा रहा है कि जमाबंदी संवत् 2041 के अनुसार खाता संख्या 60 कुल किता 06 रकबा 26.08.00बीघा प्रहलाद मुत0 लादू के नाम मुकदमा संख्या 93/72 की न्यायालय डिकरी दिनांक 30.08.72 के द्वारा किया गया है। उक्त अंकन इसी न्यायालय के निर्णय व डिकरी से किया गया है। जिसे बदलने का इस न्यायालय को अधिकार नहीं है। वादी द्वारा कोई ऐसा अपीलीय आदेश/निर्णय भी किसी अपीलीय न्यायालय का प्रस्तुत नहीं किया है जिससे मुकदमा नंबर 93/92 के निर्णय व डिकरी पर विपरीत प्रभाव कारी हो। इस न्यायालय के मुकदमा संख्या 93/72 निर्णय व डिकरी की निरंतरता मे प्रकरण संख्या 84/2003 तथा 201/2009 तथा इजराय 2009 जो इसी वादग्रस्त आराजी से संबंधित थे रेसज्युडिकेटा मे खारिज किये गये है। हस्तगत प्रकरण भी उसी आराजीयात से संबंधित होने के कारण यह भी चलने योग्य नहीं है अतः यह तनकी संख्या 03 व 04 भी प्रतिवादी संख्या 02 के पक्ष मे तय की जाती है।

अनुतोष

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद जमाबंदी संवत् 2024–2027 खाता संख्या 45 किता 09 रकबा 89.15.00 बीघा के अनुसार जमाबंदी संवत् 2041 के खाता संख्या 60 किता 06 रकबा 26.08.00बीघा जो जमाबंदी संवत् 2067 के खाता संख्या नया–पुराना 44–49 कुल किता 06 रकबा 4.28 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने व प्रतिवादी संख्या 02 का नाम विलोपित कर प्रतिवादी संख्या 02 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद करवाने सबंधी वाद स्वीकार किया जाने योग्य नहीं है।

निर्णय

ग्राम काबरिया तहसील केकड़ी की वादवर्णित आराजीयात बाबत् वादी द्वारा प्रस्तुत वाद जमाबंदी संवत् 2024–2027 खाता संख्या 45 किता 09 रकबा 89.15.00 बीघा के अनुसार जमाबंदी संवत् 2041 के खाता संख्या 60 किता 06 रकबा 26.08.00बीघा जो जमाबंदी संवत् 2067 के खाता संख्या नया–पुराना 44–49 कुल किता 06 रकबा 4.28 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने व इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने सबंधी वाद रेसज्युडिकेटा के तहत खारिज किया जाता है। इस आशय का डिकरी पर्चा जारी हो। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.21 14:23:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner